

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil First Appeal No. 35/2025

Assistant Engineer (Rural),

----Appellant

Versus

Sunil Kumar S/o Dilipkumar,

----Respondent

For Appellant(s) : Mr. Keshav Parashar

For Respondent(s) : Mr. Vijay Punia

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

09/12/2025

प्रार्थना-पत्र संख्या 01 / 2025 जो कि प्रत्यर्थी की ओर से पेश किया गया है, पर सुना गया।

प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इस न्यायालय ने दिनांक 17.01.2025 को स्थगन आदेश पारित करते समय यह आदेश दिया था कि अपीलार्थी सम्पूर्ण क्लेम की राशि जमा करा दे एवं उक्त राशि जमा होने पर 50 प्रतिशत राशि दावेदारों/प्रत्यर्थीगण को वितरित कर दी जावे। उनका यह भी कथन है कि उक्त राशि के वितरण के लिए विचारण न्यायालय में मूल अभिलेख की आवश्यकता है जो कि इस अपील में तलब किया हुआ है, अतः मूल अभिलेख लौटाया जाए।

विचार किया गया। प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर इस अपील के साथ संलग्न विचारण न्यायालय का मूल अभिलेख अविलम्ब उक्त राशि के वितरण की कार्यवाही के लिए लौटाए जाने का आदेश दिया जाता है तथा विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि राशि वितरण की कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कर मूल अभिलेख इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित करें।

तदनुसार प्रार्थना-पत्र निस्तारित किया जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J